न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राव, निवासी- पोसालिया, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
(2) सचिव, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्या: 27/2017

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2A दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 23 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राव, निवासी- पोसालिया की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या: 16/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017 की अप्रार्थीगण द्वारा पालना नही करने व न्यायालय निर्णय की अवज्ञा करने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेश 39 नियम 2ए दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया) की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री भरतराज सिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राव, निवासी- पोसालिया ने ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राव, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2956 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 23.9.2013 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी अर्जुनसिंह व ग्राम पंचायत, पोसालिया के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो पंचायत निगरानी संख्या: 16/2016 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या: 16/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017 के द्वारा भरतसिंह का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति- राव, निवासी-पोसालिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 23.9.2013 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, पोसालिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) (i) में अंकितानुसार 300 वर्गगज से अधिक संनिर्मित क्षेत्रफल की राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ii) में वर्णितानुसार राशि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया से वसूल करके अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया को पुन: पट्टा जारी किया जावे। यदि मौके पर 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल 256 वर्गफीट भूमि पर आवासीय निर्माण किया हुआ नही है तो 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल 256 वर्गफीट की राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत विद्यमान बाजार कीमत अनुसार राशि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया से वसूल करके अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया को पुन: पट्टा जारी किया जावे। जिस पर प्रार्थी अर्जुनसिंह ने उक्त निर्णय की पालना कराने हेतु सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया को आवेदन मय निर्णय प्रति के दिनांक 23.5.2017 को प्रस्तुत कर उक्त निर्णय की पालना कराने का अनुरोध किया। प्रार्थी अर्जुनसिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.5.2017 के संलग्न मूल पट्टा संख्या 50 दिनांक 23.5.2013 भी ग्राम पंचायत, पोसालिया में जमा कराया दिया है, लेकिन ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव द्वारा अभी तक इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2017 की पालना नही की गई। प्रार्थी उक्त निर्णयानुसार जो भी बाजार दर अनुसार राशि बनती है, वह राशि ग्राम पंचायत में अदा करने हेतु तैयार है, लेकिन ग्राम पंचायत, पोसालिया ने अभी तक बाजार दर अनुसार राशि की गणना कर राशि जमा कराने हेतु प्रार्थी को सूचित नही किया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया को उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2017 की भलीभांति जानकारी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव द्वारा उक्त निर्णय की अभी तक पालना नही करने से प्रार्थी अर्जुनसिंह को शारीरिक एवं मानसिक रुप से परेशानी उठानी पड़ रही है एवं प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव को उक्त निर्णय की पालना करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 16.9.2017 को प्रेषित किया गया था, लेकिन उक्त निर्णय की पालना अभी तक ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा नही की गई है। ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव द्वारा जानबूझ इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2017 की अवहेलना की जा रही है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को न्यायालय निर्णय की अवमानना करने के कारण तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2017 की कोई अवहेलना या अवमानना नही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नोटिस भेजने पर उक्त निर्णय की जानकारी अप्रार्थीगण को हुई, परन्तु प्रार्थी ने उक्त नोटिस भेजने के अलवा इस न्यायालय के निर्णय की पालना के अग्रसर में कोई भी कार्य नही किया है, जो कि निर्णय अनुसार प्रार्थी अर्जुनसिंह स्वयं को करना था। प्रार्थी अर्जुनसिंह ने उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2017 की पालना में अतिरिक्त भूमि की बाजार दर अनुसार राशि अभी तक ग्राम पंचायत, पोसालिया में जमा नही करवाई है, इस कारण प्रार्थी को पट्टा जारी किया जाना संभव नही है। उक्त निर्णय की अवहेलना प्रार्थी अर्जुनसिंह स्वयं द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव द्वारा उक्त निर्णय की अवहेलना नही की गई है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है। आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. के प्रावधान उस दशा में ही लागू होते है, जब न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 के अर्न्तगत कोई आदेश पारित किया गया हो और उस आदेश की अवज्ञा हुई हो। चूंकि प्रार्थी द्वारा बताये गये उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई आदेश जारी किया गया है तथा न ही किसी ऐसे अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अप्रार्थीगण द्वार कोई अवज्ञा की गई है, इस कारण से आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति- राव, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2956 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 23.9.2013 को निरस्त कराने हेतु श्री भरतराजसिंह पुत्र श्री केरसिंह, जाति- राव, निवासी- पोसालिया द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया व उक्त अर्जुनसिंह के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अर्न्तगत निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या: 16/2016 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त पंचायत निगरानी संख्या: 16/2016 में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017 के अनुसार प्रार्थी भरतराजसिंह का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति- राव, निवासी- पोसालिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 23.9.2013 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, पोसालिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) (i) में अंकितानुसार 300 वर्गगज से अधिक संनिर्मित क्षेत्रफल की राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ii) में वर्णितानुसार राशि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया से वसूल करके अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया को पुन: पट्टा जारी किया जावे। यदि मौके पर 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल 256 वर्गफीट भूमि पर आवासीय निर्माण किया हुआ नही है तो 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल 256 वर्गफीट की

.....पेज चार पर

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत विद्यमान बाजार कीमत अनुसार राशि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी- पोसालिया से वसूल करके अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंह जी, जाति-राव, निवासी-पोसालिया को पुनः पट्टा जारी किया जावे।

इस संबंध में प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 27.3.2017 की अप्रार्थीगण द्वारा पालना नही करने व न्यायालय निर्णय की अवज्ञा करने के कथन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेश 39 नियम 2ए दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि आदेश 39 नियम 2ए दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उस स्थिति में ही लागू होते है, जब आदेश 39 नियम 1 या 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश की अवज्ञा की गई हो। चूंकि इस न्यायलय द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेश 39 नियम 1 या 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में, आदेश 39 नियम 2ए दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही, ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या: 16/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017 की पालना में विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही